झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 34 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन
ग्रा० + पो० - औंरा, थाना - बगोदर
जिला - गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–34 / 2023</u>

परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्रा0+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा PMGKAY के तहत् बगोदर प्रखण्ड के कार्डधारियों को राशन डीलरों द्वारा माह सितम्बर, 2022 में प्रति यूनिट 3.5 कि0ग्रा0 एवं दिसम्बर, 2022 में 2.5 कि0ग्रा0 कम राशन वितरित करने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में DGRO, गिरिडीह के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को प्राप्त हुई है।

परिवाद पत्र में उल्लेख है कि इस संबंध में उनके द्वारा राशन कार्डधारियों का हस्ताक्षरयुक्त आवेदन DSO, गिरिडीह के कार्यालय में 31.05.2023 को प्रेषित किया गया था किन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह भी कि आयोग में दर्ज वाद सं0–10 / 2023 में दिनांक–22.03.2023 को इसी प्रकार के एक मामले में जिन कार्डधारियों को कम राशन वितरित किया गया था उन्हें मुआवजा सहित राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। एवं इसके आलोक में उक्त वाद से संबंधित कार्डधारियों को मुआवजे का राशन उपलब्ध भी कराया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कार्डधारियों के कटौती किये गये अनाज और मुआवजा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–12.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

7.8.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।